अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2003

का.आ. 1254(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 22 नवम्बर,1994 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 839 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अर्पण ट्रस्ट,2,पूनम,160,आर0बी0मेहता मार्ग,घाटकोपर (पूर्व), मुम्बई-400077 द्वारा घाटकोपर (पूर्व), मुम्बई में अर्पण आई बैंक को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1995-1996 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 12 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 17 मार्च,1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 212 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था; तथा जिसे बाद में दिनांक 21 सितम्बर,2000 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 855 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्ष की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए तथा 7.50 लाख रूपए की अनुमोदित लागत को बढ़ाकर 13.50 लाख रूपए करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:-

(क) एतद्द्वारा अर्पण ट्रस्ट,2,पूनम,160,आर0बी0मेहता मार्ग,घाटकोपर (पूर्व), मुम्बई-400077 द्वारा घाटकोपर (पूर्व), मुम्बई में अर्पण आई बैंक को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है; तथा

(ख) दिनांक 22 नवम्बर,1994 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0 839 (अ0) में आगे निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, नामत:

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं0 12 के सामने लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कॉलम (4) में जो धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जानी है, इसमें "7.50 लाख रूपए" के स्थान पर "13.50 लाख रूपए" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 266-2003/फा. सं. एन.सी. 224/2003]

ए. जे. मजूमदार, सचिव, राष्ट्रीय समिति